


**राजस्थान सरकार**  
**निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान जयपुर**  
 क्रमांक : अराज/सामान्य/2019/ 254दिनांक : 8 मार्च, 2019

**आदेश**

निम्नलिखित कार्मिकों के प्रशासनिक कारणों से लोकहित में किये गये स्थानान्तरण/पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार निरस्त/संशोधित किया जाता है :-


क्र.	नाम कार्मिक	आदेश/दिनांक (क्र.सं.)	निरस्त/संशोधन
1	सुमित्रा कुमारी, म.स्वा.कार्यकर्ता	218/03.03.2019 (48)	उपकेन्द्र निमोद (करेल) बौली सवाईमाधोपुर से उपकेन्द्र महलाना उतरादा, राजगढ, चूरु में
2	सुमित्रा, म.स्वा.कार्यकर्ता	218/03.03.2019 (49)	पीएचसी सियाणा, जालौर से उप केन्द्र रातुसर, चूरु
3	बलकेश, म.स्वा.कार्यकर्ता	218/03.03.2019 (55)	उप केन्द्र महुआ, अंता, बारां से पीएचसी जैतसीसर, चूरु में
4	संतोष, म.स्वा.कार्यकर्ता	218/03.03.2019 (58)	उपकेन्द्र जिकसाना ताल, चूरु से उप केन्द्र नेठवा, तारानगर, चूरु
5	कमलेश, म.स्वा.कार्यकर्ता	218/03.03.2019 (60)	उपकेन्द्र भूराकुआं, बांसवाडा से उप केन्द्र रतनपुरा, जिला चूरु
6	संतोष, म.स्वा.कार्यकर्ता	218/03.03.2019 (64)	उपकेन्द्र जेरोली, अलवर से उप केन्द्र जिकसाना ताल, चूरु
7	कविता कुमारी, म.स्वा.कार्यकर्ता	218/03.03.2019 (65)	उपकेन्द्र धोलिया ढेर, जिला नागौर से उप केन्द्र उप केन्द्र नेठवा, चूरु
8	पूजा शर्मा, कनि.सहायक	234/06.03.2019 (100)	सीएचसी बयाना, भरतपुर से कार्यालय संयुक्त निदेशक, भरतपुर के अधीन के स्थान पर कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन भरतपुर
9	सुनीता कुमारी, म.स्वा.कार्यकर्ता	234/06.03.2019 (104)	कार्मिक का नाम सुनीता कुमारी के स्थान पर सुमिता कुमारी
10	ममता देवी जाटव, नर्स द्वितीय	234/06.03.2019 (96)	कार्मिक का स्थानान्तरण पर नवीन पदस्थापन स्थान मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधि. भरतपुर के अधीन के स्थान पर नवीन मेडिकल कॉलेज भरतपुर

आदेशों का शेष भाग यथावत रहेगा।

  
 ( मुकुल शर्मा )  
 अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
 राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपी निम्नलिखित का वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. विशिष्ट सहायक, मा.मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मा.राज्यमंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. निदेशक, ईएसआई योजना, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर।
5. निदेशक, भ्रमणशील शल्य चिकित्सा ईकाई, जयपुर।
6. संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, आयुर्विज्ञान महाविद्यालय।
7. संबंधित संभागीय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ।
8. संबंधित अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह।
9. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
10. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी प्रभारी।
11. संबंधित कर्मचारी द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
12. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
13. आदेश/रक्षित पत्रावली।

  
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर